गुर्दे का गंदा धंधा

के.एम.सीती

कुछ माह पूर्व केरल का गुर्दों का धंधा सुर्खियों में था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस धंधे में प्रदेश के उत्तरी ज़िलों के कुछ निजी अस्पताल शामिल हैं। मगर सरकार इस मामले में कार्रवाई करने से कतरा रही है क्योंकि इसमें दोषी लोग नए उभरते स्वास्थ्य उद्योग के बड़े लोग हैं। यही लोग राज्य की नीतियां तय करवाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि चिकित्सा समुदाय को यह जानकर धक्का लगा है कि उसका नेतृत्व भी इस अनैतिक क्रियाकलाप का बचाव कर रहा है। इस संदर्भ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल शाखा अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है। राज्य सरकार, केरल उच्च न्यायालय, राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग सभी गुर्दों के धंधे के पीड़ित लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों से जूझ रहे हैं।

23 वर्षीय युवती रजनी ने बताया कि जब वह गर्भवती थी, उसे गुर्दा 'दान' करने को मजबूर किया गया। वह उस समय अपने पहले बच्चे को दूध पिला रही थी। रजनी ने अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ से गुहार की कि उसके गर्भ के बच्चे को न मारे। किन्तु उसका गर्भ नष्ट कर दिया गया और एक महीने के अन्दर उसका गुर्दा निकाल लिया गया।

अंग प्रत्यारोपण के मामले में केरल को एक सुरक्षित राज्य माना जाता था जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दिल्ली तो काफी समय से खबरों में रहे हैं। मगर हाल में केरल में जो तथ्य सामने आए हैं उनसे कुछ बेचैनी जनक मुद्दे उभरे हैं। राज्य सरकार निजी निहित स्वार्थों की रक्षा करती नज़र आ रही है। कोज़ीकोड, त्रिशुर और मलप्पुरम ज़िलों में गुर्दा प्रत्यारोपण के तथ्य स्वास्थ्य उद्योग और दलालों के गठबंधन को उजागर करते हैं।

गुर्दा प्रत्यारोपण विवाद ज़्यादा संवेदनशील इसलिए भी हो गया है क्योंकि इस धंधे के अधिकांश पीड़ित लोग इदुक्की और वायनाड ज़िलों के आदिवासी हैं। दलालों व अस्पताल के अधिकारियों ने छल पूर्वक इनके गुर्दे 'दान' करवा लिए थे। खबरों के मुताबिक अधिकांश प्रत्यारोपण ऑपरेशन कोज़ीकोड, मलप्पुरम और त्रिशुर के चन्द निजी अस्पतालों में किए गए। वर्ष 2001-2002 के दौरान कम से कम 150 मामलों में अधिकारिक समिति ने प्रत्यारोपण की इजाज़त दी थी। अकेले कोज़ीकोड ज़िले के मात्र तीन निजी अस्पतालों ने पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 297 गुर्दा प्रत्यारोपण किए। इनमें से 211 गुर्दे असम्बंधित व्यक्तियों द्वारा 'दान' किए गए थे। प्रमुख सवाल ये हैं - क्या अस्पताल के अधिकारियों ने किसी तरह इन 'दानदाताओं' को प्रभावित किया था? क्या 'दानदाता' और 'प्राप्तकर्ता' के बीच पैसे का कोई लेनदेन हुआ था? क्या 'गुर्दा दान' के इन मामलों में आदिवासियों का शोषण हुआ? क्या मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 का किसी भी रूप में उल्लंघन हुआ?

जब ये खबरें मीडिया में आने लगीं तो सबसे पहले सरकार ने डी.आई.जी. मोहम्मद यासीन की अध्यक्षता में एक जांच शुरू करवा दी। डी.आई.जी. ने अपनी रिपोर्ट में इस गैर कानूनी गुर्दा व्यवसाय के हैरतअंगेज़ प्रमाण प्रस्तुत किए। हाल में कोज़ीकोड व त्रिशुर के तीन अस्पतालों में किए गए 23 प्रत्यारोपणों में से 18 गैर कानूनी थे। इस जांच के दरम्यान गुर्दा व्यवसाय के कुछ पीड़ितों ने आगे आकर अपनी आपबीती सुनाई।

मसलन, इदुक्की ज़िले की एक 23 वर्षीय युवती रजनी ने बताया कि जब वह गर्भवती थी, उसे गुर्दा 'दान' करने को मजबूर किया गया। वह उस समय अपने पहले बच्चे को दूध पिला रही थी। रजनी ने अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ से गुहार की कि उसके गर्भ के बच्चे को न मारे।

किन्तु उसका गर्भ नष्ट कर दिया गया और एक महीने के अन्दर उसका गुर्दा निकाल लिया गया। इस गोरखधंधे में खुद उसके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने उसे डरा-धमकाकर गुर्दा 'दान' करने को विवश किया और इसके लिए 'प्राप्तकर्ता' से पैसे वसूल कर लिए। पैसे का लेन-देन हुआ मगर रजनी को अंधेरे में रखा गया। रजनी के प्रकरण से काफी गंभीर सवाल उभरते हैं - जिस डॉक्टर ने उसके मामले में अंगदान की सिफारिश की और जिस अस्पताल में ऑपरेशन किया गया, उन दोनों की चिकित्सकीय नैतिकता पर सवाल उठते हैं। सामान्यतः एक दूध पिलाती स्त्री को गुर्दा दान की स्वीकृति नहीं दी जाती और रजनी तो गर्भवती भी थी।

इदुक्की ज़िले के आदिवासी मोहनन की पीड़ा भी गुर्दे के धंधे का तकलीफदायक पक्ष उजागर करती है। मोहनन जब वित्तीय संकट में था, तब उस पर गुर्दा 'दान' का दबाव बनाया गया। एक दलाल ने उसे दो लाख रुपए दिलवाने का वायदा किया और उसे कोज़ीकोड के एक निजी अस्पताल में ले गया। इस अस्पताल में पहले भी कई ऐसे गैर कानूनी प्रत्यारोपण हो चुके थे। मोहनन का कहना है कि वहां ले जाकर दलाल ने उसे धोखा दिया और डरा धमकाकर उससे गुर्दा ले लिया गया, पैसा एक नहीं मिला। बाद में मोहनन ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके गुर्दा व्यापार की सी.बी.आई. जांच करवाने का अनुरोध किया। मोहनन ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनमें आदिवासियों की परेशानी का मुद्दा अत्यंत अहम है।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों या डॉक्टरों ने गुर्दा दान करने के लिए किसी पर कोई दबाव नहीं बनाया। दानदाता व प्राप्तकर्ता के बीच पैसे के लेनदेन का भी कोई प्रमाण नहीं है। अलबत्ता उक्त रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अली का कहना है कि उन्होंने जो रिपोर्ट एसोसिएशन को सौंपी थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है।

कई खबरों के मुताबिक आदिमली की एक बस्ती में आदिवासियों का अमानवीय शोषण किया जा रहा है। कम से कम नौ अनपढ़ आदिवासियों के गुर्दे निकाले जा चुके हैं और 30 अन्य को प्रलोभन देकर गुर्दा 'दान' के लिए तैयार किया गया है। इन्हें उन्हीं अस्पतालों में ले जाया जाएगा जो प्रत्यारोपण के संदर्भ में विवादों के घेरे में हैं।

इस पूरे दौरान सरकार लुकाछिपी का खेल खेल रही है। उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के संदर्भ में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बयान दिया कि मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 की धारा 22 में यह व्यवस्था है कि जब तक इस कानून के तहत गठित प्राधिकारी शिकायत न करें तब तक न्यायालय किसी अपराध की सुनवाई नहीं कर सकता। इस कानून की धारा 13 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी चिकित्सा शिक्षा संचालक है। मगर चिकित्सा शिक्षा संचालक यह बहाना बनाकर टालमटोल कर रहा है कि वह अभी रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। ऐसे संकेत हैं कि शायद चिकित्सा शिक्षा संचालक पूरा दोष दलालों के मत्थे मढ़ने की कोशिश करेगा और अस्पतालों व डॉक्टरों को साफ छोड़ देगा।

इस मुद्दे ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में विश्वास का संकट उत्पन्न कर दिया है। वैसे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की केरल शाखा ने इस मामले में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में चिकित्सा समुदाय को साफ बरी कर दिया है। 25 अक्टूबर को आयोजित पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने घोषणा की थी कि इस मामले में शामिल अस्पतालों ने कानून का पूरी तरह पालन किया है। एसोसिएशन के मुताबिक इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अस्पतालों या डॉक्टरों ने गुर्दा दान करने के लिए किसी पर कोई दबाव बनाया। यह भी दावा किया गया कि दानदाता व प्राप्तकर्ता के बीच पैसे के लेनदेन का भी कोई प्रमाण नहीं है। एसोसिएशन की नैतिकता समिति ने दावा किया है कि उक्त रिपोर्ट पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है।

अलबत्ता तीन सदस्यी समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अली ने एसोसिएशन को आड़े हाथों लिया। अली का कहना है कि उन्होंने जो रिपोर्ट एसोसिएशन को सौंपी थी, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ज़ाहिर है कि यह छेड़छाड़ दोषी

डॉक्टरों व अस्पतालों को साफ-सुथरा साबित करने के उद्देश्य से की गई है। यह मूल रिपोर्ट भी प्रेस को उपलब्ध कराई गई है और इसमें कई ऐसे चौंकाने वाले तथ्य हैं जो एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट में नहीं हैं। एसोसिएशन की रिपोर्ट में रजनी नामक स्त्री का उपरोक्त मामला हटा दिया गया है। मूल रिपोर्ट में एक प्रत्यारोपण के मामले में डॉक्टरों व अस्पताल के स्टाफ की मिलीभगत की बात भी कही गई थी। रिपोर्ट में उस डॉक्टर की योग्यता पर भी सवाल उठाए गए थे जिसने प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किया था।

मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब अंग प्रत्यारोपण स्वीकृति की उत्तरी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष चन्द्रन ने एसोसिएशन की रिपोर्ट को 'अधूरी' बताते हुए कहा कि यह सिर्फ नाम के लिए तैयार की गई है। इसी बीच एसोसिएशन के पांच प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने एसोसिएशन पर चिकित्सा जगत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एसोसिएशन दोषियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। अब स्थिति यह है कि इन पांच डॉक्टरों और तीन सदस्यी समिति के अध्यक्ष पर एसोसिएशन द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

भारत को आजकल एक 'गुर्दा भण्डार' के रूप में देखा जा रहा है और देश दुनिया में गुर्दा प्रत्यारोपण का सबसे बड़ा केन्द्र बनकर उभर रहा है। कई विदेशियों, खासकर पश्चिम एशिया के लोगों और भारत के सम्पन्न वर्ग ने देश के गुर्दा बाज़ार से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। भारत में लागतें कम हैं, गुर्दे आसानी से उपलब्ध हैं, प्रत्यारोपण कानून में खामियां हैं और स्वास्थ्य उद्योग में सौदेबाज़ी की संभावना है।

केरल के इस गुर्दा व्यापार को देश के अन्य हिस्सों में हो रही इसी तरह की घटनाओं के तारतम्य में ही देखा जाना चाहिए। भारत को आजकल एक 'गुर्दा भण्डार' के रूप में देखा जा रहा है और देश दुनिया में गुर्दा प्रत्यारोपण का सबसे बड़ा केन्द्र बनकर उभर रहा है। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को दबाने वाली दवाइयों की खोज और शल्यक्रिया की नई-नई तकनीकों के विकास के चलते गुर्दा प्रत्यारोपण के काम में तेज़ी आई है। सफल ऑपरेशनों की रिपोर्टों और देश के प्रत्यारोपण कानून की खामियों का नतीजा है कि गुर्दों के व्यापार में अचानक उछाल आया है। कई विदेशियों, खासकर पश्चिम एशिया के लोगों और भारत के सम्पन्न वर्ग ने देश के गुर्दा बाज़ार से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। भारत में लागतें कम हैं, गुर्दे आसानी से उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य उद्योग में सौदेबाज़ी की संभावना है।

कुछ वर्ष पूर्व कस्टम्स अधिकारियों ने एक गुर्दा व्यापार का भण्डाभोड़ किया था। उस मामले में 'दानदाताओं' को बहला फुसलाकर विदेश ले जाया जा रहा था। खबर थी कि ऐसे सैकड़ों 'दानी' विदेश यात्राएं कर चुके हैं। चेन्नै, बैंगलोर और मुम्बई से भी अनगिनत गैर-कानूनी प्रत्यारोपण की खबरें मिली थीं। एक मामले में एक अग्रणी अस्पताल में प्रतिष्ठित डॉक्टरों द्वारा 1000 व्यक्तियों के गुर्दे निकाले गए थे। भावी 'दानियों' को पैसे और नौकरी के प्रलोभन दिए जाते थे और रक्ताधान के बहाने गुर्दा प्रत्यारोपण किए जाते थे।

गैर-कानूनी अंग व्यापार के मद्देनज़र ही भारत सरकार ने 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण कानून पारित किया था। इस कानून का मकसद अंगों के व्यापार पर रोक लगाना था। इस कानून में अंगों के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और मात्र चिकित्सा की दृष्टि से अंग निकालने की अनुमति दी गई है। कानून में मात्र निकट सम्बंधियों (पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, मां, भाई और बहन) के अंग प्रत्यारोपण की अनुमति है। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि मात्र दिमागी तौर पर मृत व्यक्ति के ही अंग निकाले जा सकते हैं। अर्थात अपने निकट पारिवारिक सम्बंधियों के अलावा किसी और को अंगों का दान गैर कानूनी है। यह व्यवस्था भी है कि अंगदान के समय पारिवारिक सम्बंध का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।

इस कानून की प्रभाविता पर कई लोगों ने कई कारणों से सवाल उठाए हैं। अंग बेचने पर सात वर्ष की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। कई लोगों को लगता है कि इतने कम जुर्माने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरे लेन देन में लाखों रुपए इधर-उधर होते हैं। ऐसा माना गया

था कि उक्त कानून अंगों के व्यापार पर रोक लगाएगा और मृतकों के अंगों के उपयोग को बढ़ावा देगा। मगर यह अंगों के व्यापार को रोकने में असमर्थ रहा है। कई लोग मानते हैं कि कानून का दुरुपयोग हुआ है। कानून की धारा 9 (3) में किसी व्यक्ति को यह अनुमति है कि वह प्रेम या भावनात्मक लगाव से प्रेरित होकर अंग दान कर दे। मगर पता यह चलता है कि गैर-पारिवारिक गुर्दा दान में हमेशा पैसे का लेन-देन होता है। ज़ाहिर है, धारा 9 (3) इस कानून के मकसद के विरुद्ध है क्योंकि यही वह पतली गली है जिस पर अंगों का व्यापार फल-फूल रहा है।

कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में प्रति वर्ष लगभग 2000 लोग अपने अंग बेचते हैं। राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग के मुताबिक दुनिया में सर्वाधिक अंगों की बिक्री भारत से ही होती है। अधिकांश अंग विकसित देशों के लोगों को बेचे जाते हैं।

एक अनुमान के मुताबिक लगभग एक लाख हिन्दुस्तानी गुर्दों की नाकामी से पीड़ित हैं और प्रति वर्ष प्रति दस लाख आबादी में करीब 80 नए रोगी सामने आते हैं। गुर्दे की कीमत 30 हज़ार से 2 लाख रुपए के बीच होती है और दलाल को करीब 20-50 हज़ार रुपए मिलते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक देश में हर साल करीब 3000 गुर्दा प्रत्यारोपण किए जाते हैं। दरअसल जितने मरीज़ों को गुर्दों की ज़रूरत है, उसे देखते हुए यह संख्या बहुत कम है।

भारत में गुर्दा व्यापार कई सारे नैतिक सवाल खड़े कर देता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि गरीब, बेसहारा लोगों को गुर्दे बेचने-देने के लिए मजबूर करना मानव अधिकारों का उल्लंघन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की विश्व स्वास्थ्य सभा ने कहा है कि "जीवित इंसानों के बीच मुनाफे के लिए अंगों का लेन-देन बुनियादी मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का उल्लंघन है।"

चिकित्सक का प्रमुख दायित्व उसके मरीज़ के प्रति है, चाहे वह मरीज़ दानदाता हो या प्राप्तकर्ता। मगर यह दायित्व सर्वोपरि नहीं है; मसलन अपने किसी मरीज़, जिसे अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत है, की खुशहाली व तन्दुरुस्ती के प्रति उसके दायित्व का यह मतलब नहीं है कि अनैतिक या गैर-कानूनी तरीकों से वह अंग प्राप्त कर ले।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव अंगों की प्राप्ति तथा प्रत्यारोपण - खासकर मृतक व्यक्ति की देह से - के नियमन के लिए एक नैतिक, व्यवस्थित व स्वीकार्य ढांचा तैयार करने के दिशा निर्देशक सिद्धांत विकसित किए हैं।

इसी प्रकार से अक्टूबर 2000 में सम्पन्न विश्व चिकित्सा सम्मेलन में एक तथ्य को रेखांकित किया गया था कि चिकित्सक का प्रमुख दायित्व उसके मरीज़ के प्रति है, चाहे वह मरीज़ दानदाता हो या प्राप्तकर्ता। मगर यह दायित्व सर्वोपरि नहीं है; मसलन अपने किसी मरीज़, जिसे अंग प्रत्यारोपण की ज़रूरत है, की खुशहाली व तन्दुरुस्ती के प्रति उसके दायित्व का यह मतलब नहीं है कि अनैतिक या गैर-कानूनी तरीकों से वह अंग प्राप्त कर ले। विश्व चिकित्सा संघ ने साफ शब्दों में कहा है कि सर्जन को "यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यारोपण के लिए कोई अंग इस नीति के प्रावधानों के अंतर्गत ही प्राप्त किया जाए।" हर मामले में यह सुनिश्चित करना चिकित्सक का दायित्व है कि अंगों की प्राप्ति कानूनी व नैतिक तरीकों से की गई हो। जीवित दानदाता के मामले में चिकित्सक को यह भी ध्यान देना चाहिए कि अंगदान किसी दबाव में न किया जाए। वित्तीय प्रलोभन भी एक किस्म का दबाव हो सकता है।

1991 में ही विश्व स्वास्थ्य सभा ने अंग प्रत्यारोपण सम्बंधी कसौटियां जारी की थीं। अंग व्यापार के बारे में कहा गया था कि "मानव शरीर व उसके अंग व्यापारिक लेन-देन की वस्तु नहीं हो सकते। लिहाज़ा अंगों के लिए भुगतान (तथा अन्य मुआवज़ा या पुरस्कार) लेने या देने पर प्रतिबंध होना चाहिए।" उसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "वितरण में न्याय व समता के सिद्धांतों के मद्देनज़र दान में प्राप्त अंग प्राथमिकता के आधार पर उन मरीज़ों को दिए जाने चाहिए जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह फैसला पैसों या ऐसे किसी आधार पर नहीं होना चाहिए।" ***(स्रोत फीचर्स)***